<u>Guru Nanak Dev Lecture Sub: ‘’Fundamentals of Taxation”</u>

The 4th Guru Nanak Dev Lecture was organised by the Dept. of Commerce on 17th August, 2019 in the seminar room of the college on the topic ‘’Fundamentals of Taxation”. The main speaker was Sri Pritam Kumar Lala, a senior advocate of Jharkhand High Court, Ranchi and social activist, also author of official book of the Jharkhand Govt. on G.S.T. He emphasized on the topic by providing insights on direct taxation. He also discussed about the Goods and Services Tax and its provisions followed by an interactive session where in the speaker answered the queries raised by the participants.

Press Release

DAINIK BHASKAR - 18 AUG 2019

गुरुनानक कॉलेज में फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन विषय पर कार्यशाला

गुरु नानक कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में शामिल अतिथि और अन्य।

एजुकेशन रिपोर्टर | धनबाद

गुरु नानक कॉलेज, धनबाद भूदा कैंपस के सेमिनार हॉल में शनिवार को चौथा गुरुनानक देव लेक्चर सीरीज के तहत "फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन" विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान का आयोजन कॉमर्स विभाग की ओर से किया गया था। मुख्य वक्ता झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रीतम कुमार लाला उपस्थित थे। प्रीतम कुमार लाला ने झारखंड जीएसटी, वैट सहित कई पुस्तकों का लेखन किया है। उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स के मूल भूत बिंदुओं पर चर्चा की। मंच पर कॉलेज के सचिव सरदार दिलजौन सिंह ग्रेवाल, प्राचार्य प्रो पी शेखर, वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ गोपाल कुमार शांडिल्य, प्रोफेसर इंचार्ज रंजना दास आदि उपस्थित थीं। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य प्रो पी शेखर के स्वागत भाषण से हुई। कॉलेज के सचिव सरदार दिलजौन सिंह ग्रेवाल ने छात्र-छात्राओं को कॉलेज जीवन शिद्दत से गुजारने की सलाह दी। इंट्रोडक्टरी स्पिच वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ गोपाल कुमार शांडिल्य ने दिया। मंच का संचालन प्रोफेसर संतोष कुमार ने किया। विभाग के प्रोफेसर चिरंजीत अधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से टैक्स की बारीकियों के विषय में अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रो संजय सिन्हा ने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया। मौके पर प्रो पियूष, प्रो दलजीत सिंह, प्रो अमरजीत आदि मौजूद थे।

DAINIK JAGRAN - 18 AUG 2019

कर प्रणाली की बारीकियों को समझें छात्र

जागरण संवाददाता, धनबाद : गुरुनानक कॉलेज में शनिवार को फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कॉलेज के कॉमर्स विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रीतम कुमार लाला मौजूद थे। उन्होंने जीएसटी में हो रहे निरंतर बदलाव पर प्रकाश डालते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा की। लाला जीएसटी और वैट जैसे विषयों पर कई पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। इस अवसर पर कॉलेज के सचिव सरदार दिलजौन सिंह ग्रेवाल, प्राचार्य पी शेखर, वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ गोपाल कुमार शांडिल्य और प्रोफेसर इंचार्ज रंजना दास उपस्थित थीं। कॉमर्स विभाग के प्रोफेसर चिरंजीत

जीएन कॉलेज में सेमिनार का आयोजन • जागरण

अधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से टैक्स की बारीकियों के विषय में अपने विचार रखें। सेमिनार में प्राचार्य पी शेखर, कॉलेज के सचिव सरदार दिलजौन सिंह ग्रेवाल, संतोष कुमार, संजय सिन्हा सहित अन्य ने भी संबोधित किया।

छात्रों को दी जीएसटी में बदलाव की जानकारी

धनबाद | मुख्य संवाददाता

गुरुनानक कॉलेज में फंडामेंटल ऑफ टेक्सेशन विषय पर आयोजित व्याख्यान में शनिवार को जीएसटी में हो रहे बदलाव की जानकारी हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रीतम कुमार लाला ने छात्र-छात्राओं को दी। मेन कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में प्रीतम कुमार लाला ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के संबंध में मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा की। यह आयोजन गुरुनानक देव लेक्चरर सीरीज के तहत किया गया है।

प्राचार्य प्रो. पी शेखर ने छात्र-छात्राओं से इस तरह के व्याख्यान से लाभ उठाने को प्रेरित किया। सचिव सरदार दिलजॉन सिंह ग्रेवाल ने छात्रों को कॉलेज जीवन शिद्दत से गुजारने की सलाह दी। विभागाध्यक्ष डॉ. गोपाल कुमार शांडिल्य, प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. रंजना दास, प्रो. संतोष कुमार, प्रो. चिरंजीत अधिकारी, प्रो. संजय सिन्हा ने कार्यक्रम के आयोजन पर बल दिया।

कार्यक्रम में डीन प्रो. बीएन सिन्हा, प्रो. पीयूष अग्रवाल, प्रो. दलजीत सिंह, प्रो. अमरजीत कौर, प्रो. दीपक कुमार, प्रो. मीना मालखंडी, प्रो. वर्षा सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

HINDUSTAN — 18 AUG 2019

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर के बिंदुओं से रूबरू हुए विद्यार्थी

संवाददाता ▷ धनबाद

गुरुनानक कॉलेज लेक्चर सीरीज के तहत शनिवार को फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन विषय पर व्याख्यान आयोजित की गयी. कॉमर्स विभाग द्वार आयोजित इस व्याख्यान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा की. झारखंड हाइ कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रीतम कुमार लाला ने जीएसटी में हो रहे बदलावों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट कराया.

कार्यक्रम का लाभ लेना चाहिए : प्राचार्य पी शेखर ने छात्र और छात्राओं को इस तरह के व्याख्यान से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिये प्रेरित किया. कॉलेज के सचिव सरदार दिलजोन सिंह ग्रेवाल ने छात्र और छात्राओं को कॉलेज जीवन शिद्दत से गुजारने की सलाह दी. इंट्रोडक्टरी स्पीच वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ गोपाल कुमार शांडिल्य ने दिया.

विभाग के प्रोफेसर चिरंजीत अधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से टैक्स की बारीकियों के विषय में विचार रखे. प्रो संजय सिन्हा ने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया. कार्यक्रम में प्रो. पीयूष अग्रवाल, प्रो. दलजीत सिंह, प्रो. अमरजीत कौर का योगदान रहा. कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर संतोष कुमार ने किया. बीबीएमकेयू के वाणिज्य विभाग के हेड एंड डीन डॉ डीएन सिन्हा और प्रो दीपक कुमार, डॉ मीना मालखंडी, प्रो. अमरजीत्त सिंह, प्रो अरविंद कुमार, डॉ वर्षा सिंह आदि मौजूद थे.

कोर्ट नोटिस

न्यायालय, सिविल जज, (निम्न कोटि)
द्वितीय, धनबाद.
ओ. सुट सं.-241/17.
मैथन पावर लिमिटेड ... वादी
बनाम
अमल मिश्रा एवं अन्य ... प्रतिवादी

प्रेषितः-
दिल मोहम्मद, जिला परिषद सदस्य, सा.-बलियापुर, थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद, झारखण्ड।

एतद् द्वारा आपको सुचित किया जाता है कि वादी ने आपके विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा दायर किया है तथा इस न्यायालय द्वारा आपको सम्मन निर्गत होने के बावजूद आप हाजिर होकर अपना पक्ष नहीं रखें हैं।

अतः इस दैनिक प्रकाशन द्वारा आपको सुचित किया जाता है कि दिनांक 21.08.2019 को पूर्वाहन 10:30 बजे आप स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा उक्त तिथि के पश्चात आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कारवाई आरम्भ कर दी जाएगी।

इसे ताकिद समझें।

ह0/-सिविल जज (निम्न कोटि)
द्वितीय, धनबाद

PRABHAT KHABAR - 18 AUG 2019